बिदअत 6

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है।

सब तअरीफ़े अल्लाह तअला के लिये हैं जो सब जहानों का पालने वाला है। हम उसी की तअरीफ़ करते और उसी का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह के सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं, वह अकेला है। कोई उसका साझी व शरीक नहीं और मुहम्मद सल्ललाहु अलेहि व सल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं।

अल्लाह की बेशुमार रहमतें, बरकतें और सलामती नाज़िल हो मुहम्मद सल्ल. पर और उनकी आल व औलाद और असहाब पर ।

अम्मा बअद !

बिदअत का मअनी

लुग़त में बिदअत का मतलब कोई चीज़ ईजाद करना या नये सिरे से बनाना होता है। और शरई इस्तेलाह में ''बिदअत'' सवाब हासिल करने की ग़रज़ से दीन में किसी ऐसी चीज़ (बात) का बढ़ाना है जिसकी बुनियाद असल सुन्नत में मौजूद न हो।

यानि हर वह चीज़ या बात जिसको दीन में अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए ईजाद किया गया हो और उसकी सहत पर कोई दलील न अल्लाह की किताब से हो, न सुन्नते रसूल सल्ललाहु अलैहि–वसल्लम से और न ही सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु ने उस काम को किया हो, बिदअत कहलाती है।

1. आईशा रज़ि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया–जिसने मेरे इस दीन में कोई चीज़ ईजाद की जो उसमें से नहीं है तो वह चीज़ मरदूद (रद्द) है। (बुख़ारी–2697, मुस्लिम–3316)

2. आईशा रजि. से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने फ़रमाया–जिसने कोई ऐसा काम (अमल) (दीन में) किया जिसके करने का हमने हुक्म नहीं दिया तो वह काम मरदूद (रद्द) है। (मुस्लिम–3317)

बिदअत की बुराई

1. जाबिर रजि. से रिवायत है कि रसूल सल्ल. ने फ़रमाया–बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है और बेहतरीन हिदायत मुहम्मद सल्ल. की हिदायत है, और बदतरीन काम दीन में नई बात ईजाद करना है और हर नई चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। (मुस्लिम–1471, इब्ने माजा–045)

और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। (नसाई–1581)

2. अली रज़ि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया–अल्लाह ने लानत की है उस शख़्स पर जो गेरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़िब्ह करे, जो ज़मीन की हदें तब्दील करे, जो अपने वालिद पर लानत करे और जो बिदअती को पनाह दे। (मुस्लिम–5417)

3. अनस इब्ने मालिक रज़ि. से रिवायत है कि रसूल सल्ल.ने फ़रमाया–अल्लाह तआला बिदअती की तोबा क़ुबूल नहीं करता जब तक कि वह बिदअत को छोड़ न दे। (तबरानी–तरग़ीब व तरहीब अल बानी–052)

4. अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ि. से मरवी है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया–अल्लाह तआला बिदअती का कोई अमल कुबूल नहीं करता, यहां तक कि वह अपनी बिदअत छोड़ दे और तौबा कर ले। (इब्ने माजा–050)

5. सहल बिन सअद रज़ि. से रिवायत है कि फ़रमाया रसूल सल्ल. ने मैं होज़े–कौसर पर तुम्हारा मेज़ बान हूँगा। जो वहां आयेगा, पानी पियेगाा और जिसने एक बार पी लिया उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। कुछ लोग ऐसे भी आयेंगे जिन्हें मैं पहचानूंगा और वह भी मुझे पहचानेंगे कि मैं उनका रसूल हूँ। फिर उन्हें मुझ तक आने से रोक दिया जायेगा। मैं कहूंगा यह तो मेरे उम्मती हैं लेकिन मुझे बतलाया जायेगा ऐ मोहम्मद सल्ल.
आप नहीं जानते कि आप के बाद इन लोगों ने कैसी–कैसी बिदअतें जारी की हैं। ''फिर मैं कहूँगा–दूरी हो दूरी हो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मेरे बाद दीन को बदल डाला। (बुख़ारी–6584,7051, मुस्लिम–6236)

4. आसिम रज़ि. ने कहा कि मैंने अनस रज़ि. से पूछा–क्या रसूलुल्लाह सल्ल. ने मदीना को 'हरम' क़रार दिया है? उन्होंने कहां–हां। फ़लां जगह से फ़लां जगह तक कोई पेड़ न काटा जाये न कोई बिदअत जारी की जाये। इसके अलावा नबी सल्ल. ने फ़रमाया ''जो शख़्स यहां कोई बिदअत जारी करे, उस पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और सारे लोगों की लानत है। (मुस्लिम–2467, बुख़ारी–1867/7306)

5. जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने फ़रमाया ''जिसने मेरी सुन्नत में से कोई एक मुर्दा सुन्नत ज़िन्दा की और लोगों ने उस पर अमल किया तो सुन्नत ज़िन्दा करने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस सुन्नत पर अमल करने वाले तमाम लोगों को मिलेगा जबकि लोगों के अपने सवाब में से कोई कमी नहीं की जायेगी। और जिसने कोई बिदअत जारी की और फिर उस पर लोगों ने अमल किया तो बिदअत जारी करने वाले पर उन तमाम लोगों का गुनाह होगा जो उस बिदअत पर अमल करेंगे जबकि बिदअत पर अमल करने वाले लोगों के अपने गुनाहों की सज़ा में से कोई चीज़ कम नहीं होंगी। (इब्ने माजा–203, मुस्लिम–7033, तिर्मिज़ी–2460)

6. अबु हुरैरा रजि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने फ़रमाया–जिस शख़्स ने लोगों को हिदायत की दावत दी उसे उस हिदायत पर अमल करने वाले तमाम लोगों के बराबर सवाब मिलेगा। और हिदायत पर अमल करने वालों का अज्र (सवाब) भी कम नहीं होगा। इसी तरह जिस शख़्स ने लोगों को गुमराही (बिदअत) की तरफ़ बुलाया उस शख़्स पर उन तमाम लोगो का गुनाह होगा जो उस गुमराही पर अमल करेंगे जबकि गुनाह करने वालों के अपने गुनाहों में से कोई कमी नहीं की जायेगी। (मुस्लिम–2459, 7037)

7. सुफ़यान सौरी रह. फ़रमाते हैं कि शैतान को गुनाह के मुक़ाबले में बिदअत ज़्यादा पसन्द है क्योंकि गुनाह से तौबा की जाती है जबकि बिदअत से तौबा नहीं की जाती। (शरह अल सुन्नः ब हवाला–इत्तेबा ए सुन्नत)

8. मुहम्मद बिन सीरीन रह. कहते हैं कि शुरू–शुरू में लोग हदीस की सनद के बारे में सवाल नहीं करते थे। लेकिन जब फ़ित्ना (बिदआत और मन घड़त रिवायात) का फ़ैलना शुरू हुआ तो लोगों ने हदीस की सनद पूछना शुरू कर दी। (और यह उसूल भी बना

लिया) कि देखा जाये कि अगर हदीस बयान करने वाले अहले सुन्नत हैं तो उनकी हदीस कुबूल की जायेगी और अगर अहले–बिदअत हैं तो उनकी हदीस कुबूल नहीं की जायेगी। (मुस्लिम–मुक़दमा–बाब–बयान अल असनाद–पेज–33)

बिदअत की खुद साख्ता तक़सीम

बिदअत को पसन्द करने वालों ने अपने ग़ैर मसनून और बिदअी कामों (बातों) को दीन की सनद दिलाने के लिए बिदअत को बिदअते हस्ना और बिदअते सय्या में बांट रखा है। हालां कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने तमाम बिदआत को गुमराही क़रार दिया है। (हर बिदअत गुमराही है।) (मुस्लिम–1471,इब्ने माजा–045)

हक़ीक़त यह है कि–बिदअते हस्ना के चौर दरवाज़े ने दीन (इस्लाम) में बिदअत को फैलाने और रिवाज देने में सबसे अहम रोल (किरदार) अदा किया है। मसनून इबादतों के मुक़ाबले में ग़ैर मसनून और मन घड़त इबादात ने जगह लेकर एक बिल्कुल नये दीन की इमारत खड़ी कर दी।

प्रोफ़ेसर अशफ़ाक़ ज़फ़र लौधी लिखते हैं किः–

फ़ातेहा शरीफ़ कुल शरीफ,दसवां शरीफ,चालीसवां शरीफ, बरसी शरीफ, ग्यारहवीं शरीफ़ उर्स शरीफ़, मीलाद शरीफ़, नियाज़ शरीफ़, चिल्ला कशी, कशफ़ल कुबूर, चिरागां, चढ़ावा, कूण्डे, झण्डे, क़व्वाली, दुआ, गंजअलअर्श, दुरूदे ताज, दुरूदे नारिया, दुरूदे माही, दुरूदे तन्जीना, दुरूदे अकबर, खत्म ख्वाजगान, ज़िक्र के हल्के और महफ़िले वग़ैरह–वग़ैरह जैसे ग़ैर मसनून, बिदई अफ़वाल को इबादत का दर्जा देकर तिलावते, कुरआन, रोज़ा, नमाज़, हज्ज, जक़ात, तस्बीह, व तहलील और ज़िकरे इलाही जैसी इबादतों को सिरे से ताक पर रख दिया गया और अगर कहीं इन इबादात का तसव्वुर बाक़ी रह भी गया है तो बिदआत के ज़रिये उनकी हक़ीकी शक्ल व सूरत बिगाड़ दी गई है।

आप इस हक़ीक़त को भी जान लें कि बिदअतियों ने अपने ज़्यादातर अक़ाइद और आमाल, की बुनियाद ज़ईफ़ और मौज़ूअ (मन घड़त) रिवायात पर रखी है।

और यह भी कि अक्सर बिदआत शिरकिया अक़ाइद और नज़रियात पर मबनी हैं। यही वजह है कि बिदआत व शिर्क का आपस में चोलीदामन का साथ है।

(मक़ामे हदीस और अहले सुन्नत–सफ़ा–358–59)

1. नाफ़ेअ रह. से रिवायत है कि एक आदमी ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ि. के पास छींक मारी और कहा ''अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्ल.।'' इब्ने उमर रज़ि. ने फ़रमाया'' यह कलिमा तो मैं भी कहता हूँ। लेकिन रसूल सल्ल. ने हमें (छींक के बाद) यूं सिखलाया है ''अल्हम्दु लिल्लाहि अला कुल्लि–हाल'' यानि हर हाल में अल्लाह का शुक्र हैं। (लिहाज़ा जो सुन्नत तरीक़ा है उसी को अपनाओ।) (तिर्मिज़ी–2521)
2. एक शख़्स इमाम मालिक रह. के पास आया और मालूम किया कि मैं एहराम कहां से बांधू? मालिक रह. ने फ़रमाया कि ज़ुल्हलीफ़ा से। उसने कहा मैं चाहता हूँ कि क़ब्रे नबवी सल्ल. से एहराम बांधू। इस पर आप ने फ़रमाया–ऐसा न करना! मै तुझ पर फ़ित्ने से डरता हूँ। कहा कि इसमें फ़ित्ने की कौन सी बात है? कि मैंने कुछ मील पहले एहराम बांधने का इरादा किया है। (इस पर) मालिक रह. ने फ़रमाया–इससे बढ़कर और कोन

सा फ़ित्ना हो सकता है कि तुम यह समझो कि तुमने ऐसी फ़ज़ीलत हासिल कर ली जिससे रसूल सल्ल. क़ासिर रहे। क्या तुमने अल्लाह का यह कलाम नहीं सुना कि–''उन लोगों को डरना चाहिये जो रसूल सल्ल. का हुक्म नहीं मानते, कहीं फ़ित्ने में मुबतिला न हो जाएं या कोई दर्दनाक अज़ाब उनको आ घेरे। (नूर–63)
(अल ऐतेसाम–इमाम–शातबी– जिल्द 1 सफा174 ब हवाला–मक़ामे हदीस और अहले सुन्नत)
इन आसार पर ग़ौर करने से हमें कुछ बातों का पता चलता है, जैसे–
1. अल्लाह तआला ने जहां अहकामात बयान किये हैं वही उन अहकामात पर अमल करने का तरीक़ा भी बतलाया है। लोगों को अपनी मर्ज़ी पर नहीं छोड़ा है बल्कि नबी सल्ल. के बारे में फ़रमाया ''यक़ीनन तुम्हारे लिये रसूल सल्ल. की ज़िन्दगी बहतरीन नमूना है। (अहज़ाब–आयत–21)
और हमें रसूल सल्ल. के तरीक़े ज़िन्दगी को अपनाने का हुक्म देते हुए फ़रमाया–''जो रसूल सल्ल. तुम्हें दें उसे ले लो और जिससे रोक दें, उससे रूक जाओ।'' (हश्र–आयत–07)
2. जो चीज़ (बात) किताब व सुन्नत से साबित हो उसको तक़्वा समझ कर छोड़ देना गुमराही है। मसलन निकाह जो क़ुरआन व सुन्नत से साबित है अगर कोई तक़्वा समझते हुए निकाह न करे तो वह गुमराह है। (बुख़ारी–1401)
3. बिदअते इज़ाफ़ी भी गुमराही है।
बिदअते इज़ाफ़ी उस बिदअत को कहते हैं जो अमल के ऐतेबार से तो साबित हो लेकिन कैफ़ियत के ऐतेबार से साबित न हो। जैसे कि कूफ़ा की मस्जिद में इज्तेमाई तौर पर ज़िक्र व औराद करने वालों को इब्ने मसऊद रजि. ने ऐसा करने से मना किया और उन्हें बिदअती कहा। (दारमी–210)
4. बिदअत हलाकत का सबब है क्योंकि इससे सुन्नत का तर्क लाज़िम आता है।

मुख़्तार अहमद नदवी लिखते हैं कि–

''इल्मे हदीस से बेख़बरी और किताब व सुन्नत पर अमल और तहक़ीक़ से दूरी का नतीजा यह हुआ कि ज़ईफ़, मुन्कर और मौज़ूअ अहादीस ने मुस्लिम मआशरे में रिवाजे आम हासिल कर लिया और उनके ज़रिये बिदअत को शरई हैसियत हासिल हो गई।''
यहां तक कि औलिया अल्लाह और सालिहीन के बारे में अक़ीदत के गुलू ने शिर्के जली (खुले शिर्क) तक को जाइज़ करार दे दिया।
लोग औलिया व सालिहीन की क़ब्रो पर सज्दा करने लगे, उनकी नज़्र मानने लगे, उन से फ़रियाद करने लगे, उन को अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया समझने लगे। फ़िर तअवीज़ गण्डों का दौर शुरू हुआ, फ़ाल–निकलने लगी और रूहों की हाज़िरी पर यक़ीन किया जाने लगा।
इन बिदआत के रिवाज ने मुसलमानों में ''सूफिया'' के एक ख़ास तबक़े को जन्म दिया, जो (बाद में) मुसलमानों में मुस्तक़िल मज़हब बन गया।
फिर पीरी–मुरीदी का धंधा शुरू हुआ। बैत, ख़िलाफ़त और इजाज़त के मरातिब क़ायम हुए और शजरा पढ़ा जाने लगा। मराक़ेबा, चिल्ला कशी, कश्फ़ुल क़ुबूर, मीलाद व उर्स,

रक्स व हाल, वज्द व कैफ़ियत जैसी मन घड़त इस्तेलाहात गढ़ी गई।
कुल शरीफ़, कुरआन ख़्वानी, खत्मे ख़्वाजगान, क़साइद व ज़िक्रे–करामात, वज़ाइफ़ व औराद वगैरह ने ज़िकरे इलाही और तिलावते–कुरआने पाक की अहमियत खत्म कर दी। इस तरह बिदआत के रिवाजे आम ने इस्लाम का एक नया मन घड़त ऐडीशन तैयार कर लिया जो अल्लाह के भेजे हुए दीन के मुक़ाबले में एक मुस्तक़िल दीन की तरह माना (और अमल किया) जाने लगा।
इस बिदई दीन और कुबूरी शरीयत ने इस्लाम की किसी भी छोटी–बड़ी चीज़ को नहीं छोड़ा। तौहीद, रिसालत, तवस्सुल और इबादत की हर छोटी–बड़ी शक्ल हत्ता कि वुजु नवाफ़िल, अज़ान, नमाज़, जनाज़ा, ताज़ियत, ज़ियारते कुबूर, ज़कात, रोज़ा और हज्ज ग़रज़ तमाम अहकाम व इबादात में मनमानी ईजाद व मिलावट कर के उसे अपने जैसा बना डाला। इस तरह बिदअत के यलग़ार ने सारे दीन की शक्ल व सूरत बदल डाली। इससे ज़्यादा अफ़सोस नाक बात यह है कि इस्लाम की इस बिगड़ी हुई शक्ल व सूरत को संवारने के लिए जो बेचेनी व कोशिशें (अवाम और उलेमा हज़रात में) होनी चाहिये वह नहीं पाई जाती । (बिदआत और उनका शरई पोस्टमार्टम–सफ़ा–14–15

शेख़ अहमद बिन हजर लिखते हैं किः–

इन बिदअतों के मामले में जिनमे से अक्सर बिदआत ख़ालिस मुश्रिकाना हैं, उलेमा के तीन गिरोह हैं।

1. एक गिरोह इन बिदआत की ताईद करता है और लोगों को उनकी तरफ़ दावत देता है। इस दलील की बुनियाद पर कि ये ''बिदअते हस्ना'' हैं। यानि बिदअत तो हैं मगर अच्छी चीजे़ हैं।
2. दूसरा गिरोह हक़ीक़त से वाक़िफ़ है और जानता है कि जिन बिदआत पर लोग कारबन्द हैं, वह बातिल और गुमराही है। लेकिन यह गिरोह अवाम का साथ देता है। उसका सबब या तो लालच होता है या ख़ौफ़ और बुज़दिली।
3. तीसरा गिरोह इन बिदआत पर नकीर करता है और लोगों को उन्हें छोड़ने की दावत देता है। तौहीद और सुन्नते रसूल सल्ल. पर चलने की तरफ़ रहबरी करता है। लेकिन उनकी तादाद पहले ज़िक्र किये दोनों गिरोह के उलेमा के मुक़ाबले कम है।

(बिदअत और उनका शरई पोस्ट मार्टम–सफ़ा 20–21)

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि ''हम तुम्हें बतलायें वह लोग जो अमलों के लिहाज़ से बड़े नुक्सान में हैं। यह वह लोग है जिनकी कोशिश दुनिया की ज़िन्दगी में बर्बाद हो गई और वो समझे हुए हैं कि अच्छे काम कर रहे है। (सूरह कहफ़–आयत–103–104)
अबु हुरैरा रज़ि. से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्ल. ने फ़रमाया–''जिसने मेरी सुन्नत के साथ दलील पकड़ी मेरी उम्मत के बिगड़ने के वक्त, उसके लिये सौ (100) शहीद का सवाब है। (मिश्कात–166, बैहक़ी–किताब अल जुहद–इब्ने अब्बास)
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वह हम सभी को बिदआत पर अमल करने से बचाये और सुन्नते रसूल सल्ल. के मक़ाम को समझने और उस पर चलने की तौफ़िक़ अता फ़रमाए।

इसी तरह जो हज़रात इन पर्चो को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ तआवुन कर रहे हैं, उन्हें जज़ाए ख़ैर से नवाज़े। हम सब की मिली–जुली कोशिशों को शर्फ़ क़ुबुलियत अता फ़रमाए और इसे हमारे लिए सदक़ा–ए–जारिया बना कर निजात का सबब बना दे।

आमीन या रब्बल आलमीन!

हमारी दावत यह है कि

1. नबी सल्ल. ने दीन के मामले में जो काम सारी ज़िन्दगी में नहीं किया। वह काम अपनी मर्ज़ी से कर के अल्लाह के रसूल सल्ल. से आगे बढ़ने की जसारत न कीजिये। क्योंकि इर्शादे बारी तअला है–

''ऐ लोगों!जो ईमान लाये हो! अल्लाह से और उसके रसूल(सल्ल.) से आगे न बढ़ो।'' (सूरह–हुजुरात–आयत–01)

2. रसूल सल्ल. ने उम्मत को जिस बात का हुक्म दिया है या जिसे खुद किया है या जिसे करने की इजाज़त दी है, उसे उसी तरह से कीजिए और अपनी चाहत को दीन में दखल न दीजिये।

इर्शादे बारी तआला है–''जो कुछ रसूल (सल्ल.) तुम्हें दे उसे ले लो और जिस चीज़ (बात) से मना करे उस से रूक जाओं।'' (हश्र–07)

3. नबी सल्ल. की इताअत के मुक़ाबले में किसी दूसरे की इताअत करके अपने आमाल को बर्बाद न कीजिए।

अल्लाह तअला का इर्शाद है–ऐ लोगों! जो ईमान लाये हो! अल्लाह की इताअत करो और (उसके) रसूल की इताअत करो और (इन के मुक़ाबले में किसी और की इताअत करके) अपने आमाल बर्बाद न करो। (सूरह मुहम्मद–आयत–33)

4. हम सब एक उम्मत बन कर रहे और गिरोहो मे न बटे।

इर्शादे बारी तआला है–तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी (कुरआन व हदीस) को मज़बूती से थाम लों और आपस में फूट न डालों। (आले इमरान आयत–103)

जो हज़रात हमारी इस दावत से सहमत हों हम उनसे तआवुन की दरख़्वास्त करते हैं।

1 हमारा मक़सदे हकीक़ी अल्लाह की ख़ुशनुदी, उसके अहकाम की बजा आवरी और अल्लाह के हक़ीक़ी दीन को अपनी ताक़त भर उसके बन्दों तक पहुंचाना है।

''व सल्ललाहु अला नबीयिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अज्मईन। बिरहमति–क या अर–हमर राहेमीन। वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बल आलमीन।''

वास्सलाम!

दिनांक 15/11/2008

आपकी राय और दुआओं का तालिब

आपका भाई

मुहम्मद सईद

मो.9214836639

अहले इल्म हज़रात से अपील है कि अगर कहीं ग़लती पायें तो जरूर हमारी इस्लाह फ़रमाए।

शुक्रिया